न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19/2021 बउनवानी जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्
पुत्र श्री सुन्दर लाल गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट बहरावण्डा खुर्द

GCMS No-2021/48

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. खसरा नम्बर 777/1, गैर मु. मरघट मे निवर्तमान सरपंच ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी भौतिक सत्यता की जानकारी नही है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ.()/2020/554 दिनांक 7.4.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील खण्डार से होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 64 दिनांक 25.1.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार खण्डार के कार्यालय को अन्तरित किया गया जिसपर तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/एल.आर./21/514 दिनांक 3.2.2021 से प्रार्थी को अवगत कराया कि प्रार्थना मे चाही गयी सूचना के संबंध में पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे तरमीम नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.11.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 514 दिनांक 3.2.2021 से अपीलान्ट को अवगत कराया कि पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द की रिपोर्ट के अनुसार ख0न0 777/1 की तरमीम नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना दिया जाना असम्भव बताया है। लोक सूचना अधिकारी का उक्तानुसार जवाब देना उचित एवं न्याय संगत नही है। क्योकि अपीलान्ट द्वारा ग्राम बहरवाण्डा खुर्द के ख0न0 777/1 मरघट पर अतिक्रमण के संबंध मे सूचना चाही गयी है जो कि सार्वजनिक हित की सूचना है जिस पर तहसील[illegible] को मौके की स्थिति की जॉच करवायी जाकर तत्काल कार्यवाही की जानी [illegible] किन्तु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खण्डार द्वारा ऐसा नही [illegible] चाही गयी सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करावे [illegible] अनुसार उक्त मरघट [illegible]क्रमण पाया जावे जो अतिक्रमण हटाने की भी नियमानुसा[illegible] कार्यवाही करे। उक्त [illegible] के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:24:08 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर